



मीरजापुर पुलिस —प्रेस नोट—



दिनांक: 03.03.2025

थाना चील्ह पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्ता गिरफ्तार—

थाना चील्ह जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 02.03.2025 को वादी चन्द्रशेखर यादव पुत्र मोहन लाल यादव निवासी गडगेडी थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पुरानी रंजिश को लेकर वादी की सास को लाठी डण्डा से मार कर गंभीर रूप से घायल करने व इलाज के दौरान मृत्यु होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर पर मु0अ0सं0-34/2025 धारा 105,115(2) ,352 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक चील्ह को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक: 03.03.2025 को थाना चिल्ह पुलिस टीम द्वारा थाना चील्ह क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्ता सीमा देवी पत्नी सुदर्शन उर्फ शिवदर्शन यादव निवासिनी धौरहरा थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता —

सीमा देवी पत्नी सुदर्शन उर्फ शिवदर्शन यादव निवासिनी धौरहरा थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-34/2025 धारा 105,115(2),352 बीएनएस थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप निरीक्षक रामकृपाल यादव, हे0कां0 चन्द्र प्रकाश यादव व म0का0 नीलम यादव थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर।

